

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3322-पीबीआर/14 विरुद्ध आदेश दिनांक
14-07-2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक
5(1)/2014-15/2347

मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड
खौडीग्राम बोराली जिला धार म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1-आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 2-उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर/इंदौर
- 3-सहायक आबकारी अधिकारी जिला शिवपुरी
- 4-जिला आबकारी अधिकारी
ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बोराली जिला धार

..... प्रत्यर्थागण

.....
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के.अग्रवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थागण शासन

.....
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे
आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत आबकारी
आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-07-14 के विरुद्ध
प्रस्तुत की गई है ।





2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी कम्पनी मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड, खौडीग्राम बोराली जिला धार को वर्ष 2012-13 में गुना प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)2012-13/321 दिनांक 15-2-11 द्वारा प्रदान की गई थी। आबकारी अधिकारी जिला गुना के पत्र अनुसार मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के अनुसार मद्यभाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतल बंद मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है। मद्यभाण्डागार शिवपुरी में माह अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 में भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। मद्यभाण्डागार करैरा पर माह अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 में भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है, जिसके कारण भी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। मद्यभाण्डागार पिछोर पर माह अप्रैल से नवम्बर 2011 तक भरी हुई बोतलों का संग्रह निर्धारित स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है। उपरोक्त अनियमितताओं के लिये प्रदाय संविदाकार को कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2012-13/2260 दिनांक 26-6-14 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर अपीलार्थी द्वारा दिया गया एवं बताया कि आसवक को आवंटित प्रदाय क्षेत्र शिवपुरी हेतु स्वीकृत पहुँच मार्ग ए0बी0रोड अति खराब होने के कारण ओ.पी.पेट बोतल एवं अन्य मदिरा भराई सामग्री शिवपुरी तक पहुँचना समय से नहीं हो पाया, जिससे भराई कार्य प्रभावित हुआ एवं वर्ष 2011-12 में न्यूनतम स्कंध कम रहा। वर्ष 2011-12 में मद्यभाण्डागार करैरा पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा आवंटित विभाग द्वारा स्वीकृत भवन/गोदाम में भण्डारण क्षमता कम होने के कारण निर्धारित स्कंध रखना एवं प्रदाय हेतु स्कंध रखना संभव नहीं था। उपरोक्त तथ्यात्मक एवं व्यवहारिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कारण बताओं सूचना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलार्थी का जबाव समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-2014 से अपीलार्थी कंपनी पर देशी



स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन मानकर रुपये 10,000/- रुपये शास्ति आरोपित की गई। साथ ही साथ प्रदाय संविदाकार को शिवपुरी जिले के मद्यभाण्डागारों में अप्रैल 2011 नवम्बर 2011 तक कुल 55 दिवस मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने तथा बोतल बंद मदिरा का न्यूनतम स्कंध न रखने से रुपये 500/- रुपये प्रतिदिन के मॉग से कुल रुपये 27,500/- तथा उक्त आलोच्य अविधि में इन भाण्डागारों में कुल 249 दिवस बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से 62,250/- रुपये इस तरह रुपये 99,750/- की शास्ति लगाई जाने का आदेश पारित किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-14 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में उठाये गये आरोपों को ही अंतिम बहस बताया गया। अपील में बताया कि अपीलार्थी कम्पनी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जबाव प्रस्तुत कर बताया था कि प्रदाय संविदाकार द्वारा मद्यभाण्डागार शिवपुरी में मदिरा भण्डारण की क्षमता पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा आवंटित भवन की क्षमता कम होने के कारण मदिरा संकंध रखना संभव नहीं था। ए0बी0रोड की स्थिति अति खराब होने के कारण मदिरा परेषण समय पर नहीं प्राप्त हो पाया जिससे न्यूनतम स्कंध कम रहा है, फुटकर लाइसेंसियों द्वारा सामान्यतः पक्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ड्यूटी चालान जमा कर इक्ठ्ठा प्रदाय मांगा जाता है, जिससे न्यूनतम स्कंध कम रहा है, मद्यभाण्डागार गुना से फुटकर लाइसेंसियों को मॉग अनुसार निर्धारित समयावधि में प्रदाय किया गया एवं प्रदाय में विलम्ब की किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यात्मक एवं व्यवहारिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कारण बताओ सूचना पत्र समाप्त करने का निवेदन किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जबाव पर विधिवत् विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील में यह भी आधार लिया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति की किसी





भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया है बल्कि अनुमति की शर्तों का विधिवत् पालन किया है जिससे राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। फिर भी अपीलार्थी कम्पनी पर 99,750/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का भार राज्य शासन पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना पत्र के जबाव में जो भी आधार उठाये थे, उन सभी में मुख्य आधार यह था कि न्यूनतम स्कन्ध नहीं रखे जाने के पीछे अपीलार्थी कम्पनी का कोई दोष नहीं है, बल्कि व्यवस्थाओं का दोष है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति नहीं लगायी जा सकती। अंत में निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-14 अपास्त किया जाये।


4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को पूर्व में आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 5(1) 12-13/442 दिनांक 15-5-11 से सूचना पत्र जारी कर प्रदाय क्षेत्र शिवपुरी करैरा पिछोर के मद्यभण्डागार में बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है एवं फुटकर ठेकेदारों की माँग अनुसार प्रदाय देने में विलम्ब हुआ है। सहायक आबकारी आयुक्त शिवपुरी एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता धार से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मद्यभण्डागार शिवपुरी करैरा पिछोर में माह अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 में भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार रखा गया है जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहते हैं। अपीलार्थी से 99,750/- रुपये की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पारित आदेश तत्समय प्रभावशील होने से आसवनी बोतल भराई एवं भण्डागार नियमों के प्रावधानों के अनुसार आसवक के पूर्ण जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर अन्य स्रोतों से मदिरा प्राप्त करने पर हुआ, व्यय की प्रतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व आसवक का ही था। आवेदक को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही आदेश पारित किया गया है। तर्क में यह भी आधार लिया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म0प्र0देशी स्पिरिट नियम





1995 के नियम-4(4) का उल्लंघन किया है जो नियम 12(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतः पूर्व विचारोपरांत उक्त अनियमितता के लिये 10,000/- शास्ति आरोपित की जाती है। इसके साथ साथ उक्त उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकार को धार जिले में मद्यभण्डागार शिवपुरी करैरा पिछोर पर माह अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 तक कुल 55 दिवस मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने तथा बोटल बंद मदिरा का न्यूनतम स्कंध न रखने से 500/- रुपये प्रतिदिन के मान से कुल रुपये 27,500/- तथा आलोच्य अवधि में भण्डागारों में कुल 249 दिवस केवल बोटल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 62,250/- इस तरह कुल रुपये 99,750/- की शास्ति अधिरोपित की गई जो नियमानुसार सही है। अतः अपीलार्थी की अपील निराधार होने से निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभण्डागार में बोटल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है। इस कारण चालान लंबित रहे हैं, जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है। अतः स्पष्टतः जहाँ अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है वहीं म0प्र0देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लंघन किया गया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है। जहाँ नियम 4(4) का उल्लंघन है वहाँ नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहाँ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है।




उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण क्रमांक 3323-पीबीआर/14 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।





(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर